भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2965
उत्तर देने की तारीख 17 दिसंबर, 2025

सामयिक निरंतरता भत्ते की समीक्षा

2965. श्री बाबू सिंह कुशवाहा :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) हेतु सामयिक निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) संरचना की समीक्षा हेतु उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव स्थानीय भाषा और स्थानीय भूगोल से परिचित स्थानीय अभ्यार्थियों को प्राथमिकता देने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्य राज्यों से आए अभ्यर्थियों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और बार-बार प्राप्त होने वाले स्थानांतरण अनुरोधों के बावजूद ऐसी नीति न अपनाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) महोदय, ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के लिए सामयिक निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) संरचना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। प्रत्येक नये केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की रिपोर्ट के पश्चात टीआरसीए संरचना, और जीडीएस संबंधी अन्य सेवा शर्तों में संशोधन हेतु सरकार ने समय-समय पर समितियां गठित की हैं।

(ख) से (घ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, सरकारी सेवा में भर्ती के लिए किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म-स्थान, या निवास-स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों के अनुसार, जीडीएस के नियोजन के लिए चिह्नित स्थानीय भाषा (ओं) का ज्ञान, कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ाई अनिवार्य है।

*****